(2)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला डीग

इजलाश श्री **सुनील कुमार झिंगोनिया** आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 57 / 2021

1–नैमीचन्द पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी कस्बा कामां तहसील कामां जिला डीग प्रान्त राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1–हरप्यारी पत्नि भीमदत्त जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कामां तहसील कामां

2–उर्मिला पुत्री भीमदत्त पत्नि गुलाबचन्द जाति ब्राहमण निवासी स्कीम नं0 10 जेल चौराहा के पीछे अलवर तहसील अलवर जिला अलबर ।

3–विद्यादेवी पुत्री भीमदत्त पत्नि राजकुमार जाति ब्राहमण निवासी लिसोडा वाला कुंआ मौहल्ला बस स्टैण्ड के पास अलवर तहसील अलवर ।

4–मन्जू देवी पुत्री भीमदत्त पत्नि राजेन्द्र प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी पोस्ट ऑफिस ब्रम्हपुरी जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर ।

5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां

उपस्थित अधिवक्ता **अप्रार्थीगण**

1– श्री रूपसिह यादव प्रार्थी अधिवक्ता

2– श्री बाबूलाल शर्मा अप्रार्थी अधिवक्ता

अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक 06.05.2024

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1956 के तहत पेश किया कि खाता संख्या 117 के आराजी खसरा 101 / 0.68, 102 / 0.65, 103 / 0.55, 117 / 0.23, 120 / 0.68, 132 / 0.49, 133 / 0.40, 135 / 0.07, 173 / 0.20, 178 / 0.28, 315 / 0.49 हैक्टर किता 11 रकवा 4.72 हैक्टर व खता संख्या 46 के खसरा नम्बर 250 / 0.63, व खाता संख्या 48 के खसरा नम्बर 151 / 0.85 व खाता संख्या 24 के खसरा नम्बर 131 / 1.55 हैक्टर व खाता संख्या 62 के खसरा नम्बर 125 / 0.09, 167 / 0.11 25 / 0.30, 299 / 0.36 388 / 0.56 हैक्टर किता 5 रकवा 1.42 हैक्टर वाके ग्राम अगमा तहसील कामां में स्थित है। आराजी मुतनाजा में हरदेई पत्नी रामचन्द सहखातेदार काश्तकार है जिसका स्वर्गवास हो चुका है उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 लगा0 10 है जो कि पहले से ही पक्षकार मुकदमा है । आराजी मुतनाजा सायल व गैरसायलान संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादीगण संख्या 5 लगा0 12 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है । जिस पर सायल व गैरसायलान व प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड वहैसियत सहखातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । मौके पर इस वक्त भी मुताबिक हिस्सा सायल व गैरसायलान व प्रतिवादीगण सामलाती तौर पर काबिज काश्त है । गैरसायलान सायल के साथ काश्त करने में झगडा फिसाद करते हैं । जिससे सामलाती काश्त करना संभव नहीं है । गैरसायलान सायल के हिस्से की आराजी में मजाहमत व मदाखलत करते हैं । तथा सायल को बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं । गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे । बिना विभाजन कराये आराजी मुतनाजा को अन्य कहीं पर रहन वय मुन्तकिल ना करें तथा सायल को बेदखल कर उसके हिस्से पर

(2)

नाजायज कब्जा ना करें । राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे व ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हकूक सायल जायल हो ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया गया है । गैरसायलान ने बाहमी बंटवारे के आधार पर आये खसरा नम्बरान पर शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है । कभी कोई झगडा फिसाद व दखल नहीं करते और ना ही कोई सहखातेदार किसी दूसरे खातेदार को मजाहमत मदाखलत करते न ही बेदखल करते सभी बाते दावे में रंगत लाने की गरज से दर्ज कराई है । गैरसायल संख्या 1 लगा0 4 के पिता व पति भीमदत्त व नैमीचन्द जो आपस में खास भाई है उन्होंने भी आपसी बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसमें से पूर्व में जगदीश प्रसाद प्रतिवादी नं0 12 व प्रतिवादी नं0 5 व 6 को अपने हिस्से में आये बाहमी नम्बरों का बेचान किया तब भी सायल व गैरसायल नं0 1 लगायत 4 में कोई झगडा फिसाद व कहन सुनन नहीं हुई शन्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं गैरसायलान अपने हिस्से को रहनवय मुन्तकिल करने के लिए भी स्वतन्त्र है गैरसायल नं0 1 लगायत 4 ने कोई धमकी नहीं दी । क्योंकि वे सुसराल में है । सायल गैरसायलान को पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए जमाबन्दी सं0 2074–77, की फोटो प्रति सलंग्न किया है ।
अप्रार्थीगण ने अपने जबाव को साबित करने के लिए इकरारनामा दिनांक 30.5.67 पेश किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया । बहस पक्षकारान अधिवक्ता को सुनी । सायल ने अपनी बहस में लिखित प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया । तथा गैरसायल अधिवक्ता ने अपने जबाव के तथ्यों को दोहराया तथा आर.आर.टी. 2020 (2) 764, आर.आर.टी. 2022 (1) 377, आर.आर.टी. 2023 (2) 919, नजीर पेश की गयी है । प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन गैरसायलान के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः प्रार्थना निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

–:: आ दे श ::–

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर0टी0एक्ट के तहत जारी प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है । । प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर फैसल शुमार होवे। बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.5.2024 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

निर्णय दिनांक 6/5/24 के अनुसार दिनांक 7/5/24 ...

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां
(डीग)
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०